

कार्यालय जनपद पंचायत लहार, जिला-भिण्ड (म.प्र.) [14/3/2023]

क्र./ज.पं./मनरेगा/2022-23/6036

लहार, दिनांक : 09.11.2022


// आदेश //

म.प्र. राज्य रोजगार गारन्टी परिषद भोपाल का पत्र क्र./6873/VS/VIP/2022 भोपाल दिनांक 01.11.2022 के क्रम में श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भिण्ड के पत्र क्र./जि.पं./मनरेगा/2022/6745 भिण्ड दिनांक 04.11.2022 के द्वारा ग्राम पंचायत मड़ोरी विकासखण्ड लहार जिला भिण्ड में रोजगार सहायक की फर्जी/नियम विरुद्ध नियुक्ति समाप्त करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त निर्देशों के पालन में श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल पिता श्री नंदराम बघेल निवासी मड़ोरी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मड़ोरी ज.पं. लहार की नियुक्ति निरस्त करते हुये संविदा सेवा समाप्त की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भिण्ड द्वारा आदेशित)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत लहार
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

पृ.क्र./ज.पं./मनरेगा/2022-23/6037

लहार, दिनांक : 09.11.2022


प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, म.प्र. राज्य रोजगार गारन्टी परिषद भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रीमान आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना की ओर सादर सूचनार्थ।
3. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला-भिण्ड (म.प्र.) की ओर सादर सूचनार्थ।
4. श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भिण्ड की ओर सादर सूचनार्थ।
5. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग लहार की ओर सादर सूचनार्थ।
6. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत मड़ोरी, ज.पं. लहार की ओर सूचनार्थ।
7. श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल पिता श्री नंदराम बघेल निवासी मड़ोरी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मड़ोरी ज.पं. लहार की ओर सूचनार्थ।

0/1

10/11/2022

10/11/2022


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत लहार
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

10/11/2022

10/11/2022

10/11/2022

प्र.पं. लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)

10/11/2022

सरपंच
ग्राम पंचायत मड़ोरी
ज.पं. लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)

कार्यालय जनपद पंचायत लहार जिला भिण्ड (म.प्र.)

क्र./ज.पं./स्था./2021/2696
प्रति,

लहार, दिनांक:-08.10.2021

श्रीमती विनीता शर्मा,
ग्राम रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत मेहरावुजुर्ग

विषय:-
संदर्भ:-

- ग्राम रोजगार सहायक (संविदा) को पद से पृथक करने वाक्य।
1. न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड में दर्ज प्रकरण क्रमांक 0001/2021-22/
अ-89(23) में पारित आदेश के पालन में।
2. कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड का पत्र क्र./जि.पं./पं.प्र./2021/5780 भिण्ड
दिनांक 07.10.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 1 से न्यायालय कलेक्टर जिला भिण्ड (म.प्र.) के न्यायालय में दर्ज प्रकरण में ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती विनीता शर्मा को पद से पृथक करने का आदेश पारित किया गया है। आदेश के पालन में कार्यालय जिला पंचायत भिण्ड के पत्र क्र./जि.पं./पं.प्र./2021/5780 से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार को पद से पृथक करने हेतु लेख किया गया है।

अतः उक्त आदेशों के पालन में आज दिनांक 08.10.2021 को श्रीमती विनीता शर्मा ग्राम रोजगार सहायक (संविदा) ग्राम पंचायत मेहरावुजुर्ग के पद से पृथक किया जाता है। (आदेश तत्काल प्रभावशील होगा)

08/10/21
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत लहार
लहार, दिनांक:-08.10.2021

पृ. क्र./ज.पं./स्था./2021/2697
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना की ओर सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला भिण्ड की ओर प्रकरण क्रमांक 0001/2021-22/अ-89(23) से पारित आदेश के क्रम में सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड की ओर पत्र क्र./जि.पं./पं.प्र./2021/5780 के क्रम में सादर सूचनार्थ।
5. स्थापना शाखा जनपद पंचायत लहार की ओर सूचनार्थ।
6. प्रधान/सचिव प्रशासकीय समिति मेहरावुजुर्ग की ओर सूचनार्थ।
7. गार्ड फाइल नस्ती हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत लहार